तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 2003 / 5827 / जोधपुर भंवरलाल आदि बनाम पूनाराम आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-9-2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री चेतनराम जाखड, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण अनुपस्थित **निर्णय** 1- यह निगरानी अन्तर्गत धारा-84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17-6-2003 के विरूद्ध पेश की गई है। 2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बिलाडा जिला जोधपुर के आराजी खसरा नम्बर-2637 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर-3308 रकबा 5 बीघा किता 2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा का आबंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16-7-1965 को नैनसिंह एवं रूपसिह पुत्र भूरसिंह जाति रावणा राजपूत को आवंटित की गयी। जिसका नामान्तरकरण संख्या-282 स्वीकार कर दोनों आवंटियों को गैर खातेदार अंकित कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या-798 के द्वारा नैनसिंह एवं रूपसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। नैनसिंह व रूपसिंह ने खसरा नम्बर-2637 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 4-12-1991 को अपीलान्ट भंवरलाल पुत्र कानूराम व मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणराम को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या-1995 दिनांक 17-12-1991 को तस्दीक हुआ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर. / 2003 / 5827 / जोधपुर** **भंवरलाल आदि बनाम पूनाराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– दिनांक 16–7–1965 को किये गये आबंटन के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि भूमि आबंटन नियम–1970 के नियम 14(4) के तहत न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर में प्रस्तुत किया गया और आबंटन खारिज करने की प्रार्थना की गयी। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–466/92 में निर्णय दिनांक 7–2–2001 द्वारा स्वीकार कर आबंटन खारिज कर दिया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 798 व 1995 के विरूद्ध अपील भी प्रकरण संख्या–363/92 में अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या–363/92 दिनांक 7–2–2001 द्वारा नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 खारिज कर दिये गये। आबंटन समिति के आदेश बाद में फर्जी तरीके से अवैधानिक रूप से शब्द जोड़कर यह आबंटन आदेश जारी करवा लिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये आबंटन खारिज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 798 व 1995 को खारिज करने के विरूद्ध एक अपील संभागीय आयुक्त, जोधपुर न्यायालय में प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 17.6.2003 के द्वारा खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध हस्तगत निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई। 4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। 5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर में प्रकरण संख्या–466/92 में निर्णय दिनांक 7–2–2001 द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर. / 2003 / 5827 / जोधपुर** **भंवरलाल आदि बनाम पूनाराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आबंटन निरस्त कर दिया था। इस आदेश के विरूद्ध अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर मुख्यालय जोधपुर में की जो दिनांक 12–2–2004 को खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में की गयी जिसमें निर्णय दिनांक 23–3–2007 द्वारा आबंटन बहाल कर दिया गया और इस कारण नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 भी यथावत रहने चाहिये। प्रार्थी सद्भावी क्रेता है जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खसरा नम्बर–2637 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काश्तकार बने। पंजीकृत विक्रय पत्र बिना सक्षम न्यायालय स्तर से निरस्त कराये नामान्तरकरण संख्या–1995 निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त दोनों नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 को निरस्त कर त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। 6– अप्रार्थीगण उपस्थित नही। उनके विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गयी। 7– हमने निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया। 8– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आबंटन दिनांक 16–7–1965 को हुआ एवं नामान्तरकरण संख्या–282 के द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 व 3 गैर खातेदार बने। नामान्तरकरण संख्या–798 द्वारा खातेदार बने। नैनसिंह व रूपसिंह ने खसरा नम्बर–2637 रकबा 4	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर. / 2003 / 5827 / जोधपुर** **भंवरलाल आदि बनाम पूनाराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा 19 बिस्वा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4–12–1991 को निगरानीकर्ता संख्या–1 व 2 भंवरलाल पुत्र कानूराम व मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणराम को कर दिया और नामान्तरकरण संख्या–1995 तस्दीक किया। नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 के विरूद्ध अपील अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर को की गयी। आबंटन को खारिज करने के लिये आबंटन नियम–1970 के नियम–14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने आबंटन निरस्त कर दिया तथा नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 भी निरस्त कर दिया। नामान्तरकरण निरस्त करने के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त, जोधपुर को की गयी जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2003 द्वारा खारिज कर दी गयी जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 9– अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा आबंटन निरस्त करने के विरूद्ध अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर मुख्यालय जोधपुर को की गयी जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–2–2004 के द्वारा खारिज कर दी जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या–2004/1070 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी जिसमें निर्णय दिनांक 23–3–2007 के द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर मुख्यालय जोधपुर का निर्णय दिनांक 12–2–2004 तथा अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर. / 2003 / 5827 / जोधपुर** **भंवरलाल आदि बनाम पूनाराम आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का निर्णय दिनांक 7–2–2001 निरस्त किये गये हैं और दिनांक 16–7–1965 को किया गया आबंटन यथावत रखा गया।

10– इस प्रकार राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 23–3–2007 के द्वारा आबंटन बहाल करने से नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 भी बहाल हो जाते हैं। अतः निगरानी स्वीकार कर संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 17–6–2003 व अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर की पत्रावली संख्या–363/1992 में पारित निर्णय दिनांक 7–2–2001 अपास्त किये जाते हैं एवं नामान्तरकरण संख्या–798 व 1995 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य